संख्या–बजट–38–193–अनाच्छादित–व्या०दु०बी०यो0(2025–26)/ 626 /राज्य कर

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश,
(बजट अनुभाग)
लखनऊः: दिनांक :: 19 दिसम्बर, 2025

अपर आयुक्त,ग्रेड–1, राज्य कर,
मुरादाबाद जोन मुरादाबाद।

कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या–2819 दिनांक 08.10.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें । जिसके द्वारा स्व0 श्री मोहन सिंह फर्मस्वामी सर्वश्री कृष्णा इन्टरप्राइजेज, मुरादाबाद जिनकी दिनांक 22.01.2024 को मृत्यु हो गयी थी, का बीमा दावा प्रकरण निस्तारण किये जाने हेतु इस कार्यालय को प्रेषित किया गया था।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में दावा दिनांक 17.09.2025 को दायर किया गया था, जो निर्धारित समय सीमा से लगभग 1 वर्ष 8 माह विलम्ब से था, चूँकि प्रकरण अत्यन्त विलम्बित है तथा केवल अज्ञानता के आधार पर विलम्बमर्षण की संस्तुति की गयी और किसी अन्य अपरिहार्यता का उल्लेख नही किया गया है, जिस कारण आयुक्त महोदय द्वारा प्रकरण को अत्यंत विलम्ब से होने तथा समुचित अपरिहार्य कारण न होने के कारण अस्वीकार कर दिया गया है ।

अतः कृपया उक्त से अवगत होते हुए आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

उक्त पत्र आयुक्त महोदय के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है ।

(अशोक कुमार सिंह)
अपर आयुक्त(लेखा) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित–

1– संयुक्त आयुक्त(कार्य0), राज्य कर, मुरादाबाद सम्भाग–ए मुरादाबाद ।

2– संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय कों विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

अपर आयुक्त(लेखा) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

to jc objection.doc